# यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013560
ई–मेल upeida2@gmail.com


पत्रांक – 11812 लेखा / यूपीडा दिनांक 23 सितम्बर, 2020

## EOI हेतु सूचना

यूपीडा कार्यालय से सम्बन्धित चार्टेड एकाउन्टेंट (कर परामर्शी) की चयन प्रकिया हेतु Expression Of Interest (EOI) प्राप्त करना होगा। इच्छुक फर्मो को निम्नलिखित अहर्ताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा एवं तत्सम्बन्धित साक्ष्य भी संलग्न करना होगाः–

1. सी0ए0 फर्म को पार्टनर शिप फर्म होनी चाहिए।
2. सी0ए0 फर्म का आफिस लखनऊ में होना चाहिए।
3. सी0ए0 फम्र को सी0ए0जी0 से सूचीबद्व होना चाहिए।
4. सी0ए0 फर्म का 03 वर्षो का टर्न ओवर प्रत्येक वर्ष 50 लाख होना चाहिए।
5. सी0ए0 फर्म का 10 वर्षो से अधिक के कार्य का अनुभव होना चाहिए।
6. सी0ए0 फर्म का पार्टनर यूपीडा के कार्मिक का सम्बन्धी नही होना चाहिए।
7. सी0ए0 फर्म का कार्य क्षेत्र में विवाद नही होना चाहिए एवं कभी भी Blacklisted नही होना चाहिए।
8. सी0ए0 फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

टैक्सेशन से सम्बन्धित निम्न कार्यो का सी0ए0 फर्म द्वारा निष्पादन करना होगाः–

1. वार्षिक इन्कम टैक्स रिटर्न तैयार करना एवं दाखिल करना।
2. तिमाही फार्म 24 क्यू (वेतन से इन्कम टैक्स कटौती सम्बन्धी) एवं फार्म 26 क्यू कान्ट्रैक्टर एवं प्रोफेशनल फर्मो का विवरण (इन्कम टैक्स कटौती सम्बन्धी) तैयार करना तथा दाखिल करना।
3. इन्कम टैक्स एवं टी0डी0एस0 के प्रकरणों में परामर्श देना।
4. जी0एस0टी0 के प्रकरणों में परामर्श देना एवं समस्त रिटर्न दाखिल करना।
5. फार्म–16 16ए तथा जी0एस0टी0, टी0डी0ए0 सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना।
6. TCS Return भरना।
7. इनकम टैक्स विभाग में चल रहे इन्कम टैक्स वादो को तैयार करना एवं उनकी पैरवी करना।

उपरोक्त सूचना मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदेशानुसार वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड की जा रही है कि जो सी0ए0 फर्म इच्छुक है वे कार्यालय पर दिनांक [illegible]/10/2020 के अपरान्ह 03.00 बजे तक उपलब्ध करा दें।

(विश्वजीत राय)
वित्त नियंत्रक